

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक - 21/01/2014

प्र06-विविध-22/2013 खंड- 386 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । - (1) यह नियमावली "बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2014" कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ । - जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ;

(ख) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है - बिहार सरकार ;

(ग) "राज्य आयोग" से अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित "बिहार राज्य खाद्य आयोग" अभिप्रेत है।

(घ) "जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन प्रत्येक जिले में नियुक्त या पदाभिहित पदाधिकारी।

(ङ) "पात्र गृहस्थी" से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आने वाली गृहस्थियां अभिप्रेत है ;

(च) "उचित दर दुकान" से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई ;

(छ) "खाद्यान्न" से चावल, गेहूँ या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं ;

(ज) "खाद्य सुरक्षा" से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है ;

(झ) "खाद्य सुरक्षा भत्ता" से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है ;

(ञ) "पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी" से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान किए गए गृहस्थी अभिप्रेत है ;

(ट) "लक्षित जन वितरण प्रणाली" से उचित दर की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, लेकिन परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों ।

3. राज्य खाद्य आयोग का कार्यालय । - राज्य खाद्य आयोग, बिहार का कार्यालय राज्य की राजधानी पटना में होगा ।

4. राज्य खाद्य आयोग का गठन । - राज्य खाद्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(1) अध्यक्ष

(2) पाँच अन्य सदस्य, और

(3) सदस्य सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यान्य पंक्ति का एक अधिकारी होगा :

परन्तु उसमें कम से कम दो महिलाएँ होंगी चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हों :

परन्तु यह और कि उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जन जाति का होगा, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हों :

परन्तु यह और भी कि उसमें कम से कम एक व्यक्ति पिछड़ी जाति एवं एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हो ।

5. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया । - राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा - 7 के अनुरूप अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जायेगी :-

(1) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य है या रह चुके है या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य क्षेत्र में या किसी सम्बद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है,

(2) जो सार्वजनिक जीवन में के विख्यात व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या

(3) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य के प्रमाणित रिकार्ड है ।

(4) अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव में कम से कम पाँच व्यक्ति ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होंगे ।

6. पदधारकों का कार्य अवधि । - अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, इस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा । वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

7. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति । - इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी ।

8. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निबंधन एवं सेवा शर्तें ।- (1) अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति के पूर्व इस आशय की घोषणा देनी होगी कि इनके द्वारा सदस्य के रूप में कार्य करते हुए किसी वित्तीय अथवा स्वहित में पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं होंगे ।

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य स्वहस्तलिखित त्याग पत्र राज्य सरकार को सम्बोधित किसी समय भेज सकते हैं किन्तु उनका पद तभी खाली माना जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाय ।

(3) निम्नलिखित परिस्थितियों में इन्हें पद से हटाया जाएगा :-

(i) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अर्धिनिर्णीत किया गया है, या

(ii) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(iii) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में अधमता अतर्वलित है, या

(iv) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(v) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकर है ।

(4) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (3) के खंड (IV) एवं (V) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जबतक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

9. राज्य खाद्य आयोग की शक्तियाँ । - (1) राज्य खाद्य आयोग को, अधिनियम की धारा- 16 की उप धारा- 6 के खंड (ख) एवं (ङ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यक्षता करना ; और

(ङ) साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(2) राज्य खाद्य आयोग को किसी मामले, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेसित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद

की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के अधीन उसको अग्रेसित किया गया है ।

10. राज्य खाद्य आयोग के कार्य । - राज्य खाद्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों को अपने हाथ में लेगा, अर्थात् -

- (क) राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना,
- (ख) अधिनियम के अध्याय II के अधीन उपबंधित एकदायित्वों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जाँच करना ।
- (ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना ।
- (घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम के विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुँच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना ।
- (ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना ।
- (च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

11. अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव के वेतन एवं भत्ते । - बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का दर्जा, वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ क्रमशः राज्य के राज्य मंत्री एवं सरकार के सचिव के दर्जा, वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ के सदृश होगा । उपर्युक्त वर्णित किसी पद पर यदि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को नियुक्त किया जाता है, तो उस स्थिति में वह नियमानुसार नियमित पुनर्नियुक्ति हेतु अनुमान्य वेतन एवं भत्तों का हकदार होगा ।

12. राज्य खाद्य आयोग के स्टाफ । - बिहार राज्य खाद्य आयोग को दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के आधार पर पर्याप्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

13. राज्य खाद्य आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया । - अपीलकर्ता या उनके प्रतिनिधि के द्वारा अभ्यावेदन व्यक्तिगत रूप या डाक से बिहार राज्य खाद्य आयोग को सम्बोधित कर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्नलिखित व्यौरे के साथ प्रस्तुत करेंगे :-

- (1) नाम, विवरण एवं अपीलकर्ता का पता
- (2) नाम, विवरण एवं विपक्षी का पता
- (3) उप नियम (i) के अन्तर्गत स्वच्छ हस्तलिखित अपेक्षतया टंकित चार प्रतियों में अभ्यावेदन समर्पित होंगे ।
- (4) प्रस्तुत अभ्यावेदन सटिक तौर पर विशिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत अपील के कारण, बिना किसी बहस अथवा वृत्तांत के, और अपील के कारणों का सटिक संख्यांकन एवं राहत के दृष्टिगत होगा ।
- (5) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश की प्रति ।

- (6) परिसीमा अवधि के अन्दर अपील दायर नहीं करने का विश्वसनीय कारण से आयोग को संतुष्ट करने संबंधी एक शपथ-पत्र दायर करना होगा ।
- 14. राज्य खाद्य आयोग की बैठक एवं आदेशों का दिक्दर्शन । - (1) आयोग की बैठकों की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वरीयतम सदस्य करेंगे ।
- (2) राज्य खाद्य आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।
- 15. नोटिस जारी करने की प्रक्रिया । - (1) जब कभी आयोग विपक्षी पार्टी को अपील में नोटिस निर्गत करने का आदेश देगा तो साधारणतया 30 दिनों के लिये नोटिस निर्गत किया जाएगा और विशेष परिस्थितियों के अनुसार 30 दिन से कम भी हो सकेगा ।
- (2) नोटिस तामिला की उपधारणा की स्थिति में समय-सीमा 30 दिनों की होगी ।
- (3) पक्षों को निबंधित डाक से नोटिस भेजी जाएगी ।
- 16. राज्य खाद्य आयोग के कार्य दिवस एवं कार्यालय अवधि । - राज्य खाद्य आयोग के कार्य दिवस एवं कार्यालय अवधि बिहार सरकार के सचिवालय के सदृश होगा ।
- 17. अभिलेखों का संधारण । - आयोग अन्य अभिलेखों के साथ-साथ प्राप्त सभी अपील और उसके निष्पादन से सम्बन्धित अभिलेख संधारित करेगा ।
- 18. मुहर एवं सम्प्रतीक । - बिहार राज्य खाद्य आयोग का मुहर एवं सम्प्रतीक वही होगा जैसा बिहार सरकार विनिर्दिष्ट करेगी ।
- 19. राज्य खाद्य आयोग की बैठक । - जब कभी बैठक की आवश्यकता होगी आयोग के अध्यक्ष उक्त बैठक आहूत करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव ।

386

खाद्य-पटना / दिनांक- 21/01/2014

ज्ञापांक - प्र06-विविध-22/2013 खंड  
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,  
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी  
विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित ।

गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के  
मुद्रित एक हजार प्रतियों (1000 प्रतियां)

प्रधान सचिव ।

386

खाद्य-पटना / दिनांक- 21/01/2014

ज्ञापांक - प्र06-विविध-22/2013 खंड  
प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार,  
पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद, पटना/सभी प्रमंडलीय  
आयुक्त/सभी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,  
सोन भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति  
पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।